राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– एफ.8(स्टोर)/डीटीए/केन्टीन/2012–13/ दिनांक :–

निविदा सूचना

वित्त भवन में किराये पर केन्टीन संचालन कार्य हेतु पंजीकृत एवं कार्य में अनुभव रखने वाले ठेकेदारों/ फर्मों से मोहरबन्द लिफाफे में निविदाऐं दिनांक 23.05.2012 को 2.30 बजे तक आमन्त्रित की जाती है।

कार्य का विवरण	अनुमानित राशि	अमानता राशि	कार्यावधि
किराये पर केन्टीन संचालन	60,000/–	1200/–	एक वर्ष

उक्त निविदा सूचना का निविदा प्रपत्र एवं शर्ते निदेशालय की वेबसाईड www.dta.raj.nic.in पर उपलब्ध है। प्राप्त निविदाऐं दिनांक 23.5.2012 को सांय 3.00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं/प्रतिनिधिओं के समक्ष खोली जावेगी। बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

निदेशक

कोष एवं लेखा

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

वित्त भवन 'ए' ब्लाक, जनपथ, जयपुर

वित्त भवन केन्टीन किराये पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, पता एवं टेलिफोन एवं मोबाईल नं.
2. किसको सम्बोधित किया जावे – निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
3. निविदा सूचना संदर्भ .... दिनांक ....
4. प्रस्तावित मासिक किराया न्यूनतम रूपये 4000/– होगा।
5. मैं/हम निदेशक, कोष एवं लेखा राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में मैनें/हमने हस्ताक्षर कर दिये है।
6. केंटीन किराये की दर निम्न प्रकार है –

क्र.स.	स्पेशिफिकेशन	दर प्रति माह
1.	केन्टीन का मासिक किराया	

7. गर्म पेय पर्दाय निम्नांकित दरों पर आपूर्ति करनी होगी :–

क्र.स.	नाम साम्रागी	निर्धारित दर (रूपयें में)
1.	चाय प्रति प्याला (150 मि.लि.) साधारण	3/–
2.	चाय प्रति प्याला स्पेशल (150 मि.लि.)	4/–
3.	काफी (125 मि.लि.)	5/–
खाद्य पदार्थ (शुद्व मुगफली के तेल में)		
4.	समोसा (70 ग्राम आलू मसाला) कोप्ता, मिर्चबडा आदि	5/–
5.	कचोरी (70 ग्राम दाल मसाला)	5/–
6.	इडली सांभर – 2 नग	20/–
7.	दाल, सेव, मोगर, पकोडी (100 ग्राम)	10/–
अन्य खाद्य पदार्थ (शुद्व वनस्पति घी में बने हुए)		
8.	मावे की मिठाई प्रति किलो	220/–
9.	बिस्कुट (सभी तरह)	कम्पनी द्वारा निर्धारित दर पर
10.	शीतल पेय	कम्पनी द्वारा निर्धारित दर पर
11.	दही की लस्सी 200 ग्राम दही	15/–
12.	सरस की लस्सी/छाछ	जयपुर डेयरी की निर्धारित दरों पर

54

9 मै/हम उक्त दरो पर अथवा इनसे कम दरों पर खाद्य साम्रागी उपलब्ध करवाने पर सहमत हू/है जिस खाद्य/पेय साम्रागी की दर निर्धारित नहीं है उसे बिक्री से पूर्व विभाग से दर अनुमोदिन करवालूगा/लेगें।

10 ऊपर उद्‌धृत की गई दर निविदा स्वीकृति से आगामी एक वर्ष तक के लिए विधि मान्य होगी।

11 बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संख्या .... जो .... (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है नगद रसीद संख्या .... चालान संख्या .... दिनांक .... रूपये 1200/- के लिए बयाना राशि के पेटे सलग्न किया जाता है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम -
एवं पूर्ण पता
मय टेलिफोन नं/मो.नं.

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

वित्त भवन में केन्टीन संचालन कार्य हेतु अन्य शर्तें

1 ठेकेदार को धरोहर राशि के रूप मे 1200/- रूपये निविदा पत्र के साथ बैंक पे आर्डर/डी.डी. द्वारा ही जमा कराने होंगे। बिना धरोहर राशि जमा कराये निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

2. अल्पाहार गृह में काम आने वाले समस्त सामान जैसे – चाय, काफी, शक्कर, शुद्ध खाद्य तेल एवं ईधन आदि की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता नही दी जायेगी। केन्टीन में रखी जाने वाली सामग्री श्रेष्ठ क्वालिटी की होगी। सामग्री का निरीक्षण प्रभारी अधिकारी वित्त भवन द्वारा किया जायेगा। यदि क्वालिटी मे कोई कमी पाई गई तो केन्टीन मे उपलब्ध सामग्री को नष्ट करने हेतु निर्देशित किया जा सकता है एवं विवेकाधिकार से शास्ति आरोपित की जा सकती है।

3. ठेकेदार को हमेशा पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ और ताजा सामान रखना होगा तथा उपलब्ध सामान को ढककर रखना होगा। यदि बासी सामान पाया गया तो उस सामान को विभाग द्वारा नष्ट कर दिया जावेगा, जिसके लिए विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नही दी जायेगी। ठेकेदार को पर्याप्त मात्रा मे साफ व सुन्दर क्राकरी रखनी होगी।

4. ठेकेदार को कार्य दिवसों में अल्पाहार गृह प्रात 9.00 से सांय 7.00 बजे तक चालू रखना होगा एवं विशेष परिस्थितियों में अगर निदेशक कोष एवं लेखा विभाग निर्देशित करेंगे तो अवकाश के दिन भी अल्पाहार गृह खोलना होगा। किसी भी कार्य दिवस पर केन्टीन संचालित नही किये जाने पर निदेशक कोष एवं लेखा को विवेकाधिकार पर शास्ति आरोपित करने का अधिकार होगा।

5 अल्पाहार गृह का किराया दो माह का अग्रिम जमा कराना होगा तथा तत्पश्चात प्रतिमाह अग्रिम में देना होगा। किराये की दर स्वयं ठेकेदार को देनी होगी एवं अधिक किराया देने वाले निविदादाता को वरीयता दी जायेगी। जल नि शुल्क उपलब्ध कराया जायेगा विद्युत व्यय का भुगतान सब मीटर की रिडिंग के आधार पर वित्त भवन में औसत बिल के आधार पर करना होगा।

6 ठेकेदार को ठेका छूटने पर जमा अमानत राशि के अतिरिक्त धरोहर के तौर पर रूपये 4000/- इस कार्यालय मे जमा कराने होंगे। यह राशि ठेके की अवधि समाप्त होने के पश्चात लोटा दी जावेगी। यदि ठेके की शर्तो का उल्लघंन किया गया तो विभाग को आर्थिक दण्ड की राशि जमानत राशि मे से वसूल की जावेगी।

7 सेवाऐं असंतोषजनक पाये जाने पर विभाग ठेकेदार को लिखित रूप से एक माह का नोटिस देने के पश्चात ठेका समाप्त कर सकेगा। प्रथमत अनुबंध की अवधि एक वर्ष तक रहेगी। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में विभाग द्वारा एक पक्षीय निर्णय के आधार पर पूर्व शर्तो पर अवधि एक वर्ष और बढायी जा सकती है।

8 ठेकेदार को विभाग द्वारा सलग्न निर्धारित दरो पर सामग्री सप्लाई करनी होगी जिस वस्तु की दर नही दी गई हो तो उसके सबंध मे ठेकेदार व नोडल अधिकारी वित्त भवन दोनो आपस में वार्तालाप करके दरे निर्धारित कर सकते है जो मान्य होगी। जो मान्य होगी।

9 विभाग के फर्नीचर में कोई टूट फूट होगी तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा उससे हानि की वसूली की जायेगी।

10. अनुमोदित दरे ठेकेदार द्वारा एक बोर्ड पर लिखकर अल्पहार गृह में लगानी होगी तथा अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुमोदित दरों से अधिक चार्ज करने की शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल ठेका निरस्त किया जा सकता है।

11. अगर ठेकेदार द्वारा कोई सामान उधार में दिया जाता है तो उधार की वसूली का दायित्व ठेकेदार का होगा। उधार की राशि वसूली की जिम्मेदारी विभाग की नही होगी।

12. ठेकेदार को विभाग के प्रत्येक कमरे में पेय पदार्थ/अल्पहार सामग्री की सप्लाई करने की व्यवस्था करनी होगी।

13. ठेकेदार को पर्याप्त संख्या में राजकीय नियमानुसार कुशल कर्मचारी रखने होंगे तथा कोई बालश्रमिक नही रखा जावेगा एवं पारिश्रमिक भुगतान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों अनुसार किया जावेगा।

14. ठेका स्वीकृत होने के दिन से एक सप्ताह के भीतर अल्पहार गृह चालू करना होगा तथा अल्पहार गृह स्वच्छ एवं कर्मचारी स्वच्छ वर्दी में रखने होगें।

15. ठेकेदार अल्पाहार गृह को अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को सबलेट नही करेगा तथा अवधि से पूर्व छोडने की स्थिति में अमानत राशि जब्त करली जावेगी।

16. ठेकेदार को शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी जिसका निरीक्षण सप्ताह में एक बार नॉडल अधिकारी वित्त भवन या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी को करवाना होगा।

17. ठेके की व्यवस्था के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उस विवाद पर निदेशक कोष एवं लेखा जयपुर का निर्णय अंतिम होगा और वह ठेकेदार को मान्य होगा तथा निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा दिये गये आदेशों की पालना बिना किसी विवाद के ठेकेदार को करनी होगी।

18. ठेके की व्यवस्था के लिए नियमानुसार 500/-- रूपये के स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र ठेकेदार द्वारा अपने हस्ताक्षर कर विभाग में प्रस्तुत करना होगा। अनुबन्ध पत्र देय शुल्क ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।

19. निविदा भरने से पूर्व उपलब्ध स्थान का भलिभांति निरीक्षण कर लेवे बाद में कोई अतिरिक्त स्थान उपलब्ध नही कराया जायेगा।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

मैने/हमने उपर्युक्त शर्तो को भली भांति पढ एवं समझ लिया है तथा मैं इन शर्तो से पूर्णयता सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम --
एवं पूर्ण पता
मय टेलिफोन नं./मो.नं.